

भारत में नक्सलवाद एवं इससे जुड़े मानवाधिकार की समस्याः एक अध्ययन

श्वेता कुमारी[1], प्रो.(डॉ.) जवाहर पासवान[2]

[1] गवेषिका, राजनीतिशास्त्र विभाग, बी.एन.मंडल. विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार

[2] प्राचार्य, के.पी. कॉलेज, मुरलीगंज, मधेपुरा, बिहार

ABSTRACT

नक्सलवाद को पनपने एवं पोषण देने में जिन तत्त्वों की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है उसमें गरीबी, बेरोजगारी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, एक बड़े वर्ग के समुचित विकास का अभाव, विस्थापन की समस्या आदि प्रमुख कारण है। इसमें कतई संदेह नहीं है कि नक्सलवाद देश के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। 1967 से आरंभ हुए नक्सलवादी आंदोलन अपने आरंभिक काल से 57 वर्षों की यात्रा पूरी कर चुका है। इस लम्बी अवधि में भी न तो नक्सलवाद का प्रयोजन पूरा हो सका और न ही इसका समाधान हो सका। हाँ, नक्सलवादी विचारधारा एवं सरकारी प्रयासों में अंतर अवश्य दृष्टिगोचर हुए हैं। एक विचारधारा के रूप में विद्यमान 'नक्सलवाद' आज भी जीवित है। उसने अपना रूप अवश्य बदल लिया है। भूमिहीन किसान, मजदूरों का सामंतों के विरुद्ध प्रारंभ किये गये आंदोलन आज सरकार वं सुरक्षा बलों के विरुद्ध आंदोलन बनकर रह गया है। नक्सलियों द्वारा समानांतर सरकार का गठन यह बताने के लिए पर्याप्त है कि नक्सलियो ं का संविधान से विश्वास उठ सा गया है। यह देश के लिए गंभीर समस्या है। आवश्यकता इस बात की है कि नक्सली गतिविधि में संलिप्त लोग एवं सरकारी महकमा आमने–सामने बैठकर समस्या का स्थायी समाधान निकालें। यही वक्त की माँग है। सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए यह आवश्यक है।

KEYWORDS: नक्सलवाद, विचारधारा, समानांतर, सरकार, समाधान एवं भारत।

प्रस्तावना

दरअसल 25 मई 1967 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी थाने मे उस वक्त बड़ी घटना घटी जब चाय बगान मालिकों एवं पुलिस के गठजोड़ से हुए हमले में 9 महिलाओं समेत 2 बच्चे मारे गये। नक्सलबाड़ी की इस घटना से देश की राजनीतिक बिरादरी खासकर कम्युनिष्ट पार्टियों के बीच भूचाल मच गया। 25 मई 1967 की इस घटना से उस क्षेत्र के आदिवासियो ं में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। परिणामस्वरूप आदिवासियों ने भूस्वामियों के खिलाफ हथियार उठा लिये। कालांतर में यह आन्दोलन पश्चिम बंगाल से होते हुए आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा आदि राज्यों मे ं फैल गया। यहाँ तक कि समाज का बौद्धिक वर्ग भी घर एवं शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर इस आंदोलन से जुड़ गये। इनका लक्ष्य एक वर्गविहीन नयी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है।[1] नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े लोगों का मानना है कि वर्त्तमान राजसत्ता नौकरशाहों, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, पूंजीपतियों, भू–स्वामियों तथा तथाकथित दलालों के हाथों में है। ये सभी मिलकर विशाल समूह वाले कृषक मजदूर एवं अन्य दलित, आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। अतः नक्सलियों के मुताबिक वे पूँजीवादी सरकार की बाजारवादी व समाज में गैर–बराबरी बढाने वाली गतिविधियों के विरोध में और गरीबों के हित में लड़ रहे हैं। मानव और पशु में सबसे बड़ा अंतर यह है कि मानव के पास सोचने की शक्ति होती है। अपने विचारों को व्यक्त कर अपनी भावना को जगजाहिर करने की क्षमता उसे पशु से भिन्न बनाता है। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही बुर्जुआ वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण आरंभ हो गया। शोषण का यह अंतहीन सिलसिला आज भी कायम है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् समाजवादी विचारधारा का काफी तीव्र गति से विकास हुआ। इसके साथ ही वर्ग संघर्ष पूरे भारत में आरंभ हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी सामंतवाद भारत में लम्बे समय तक कायम रहा। सामंतवादी व्यवस्था के पोषक लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रताड़ना उन्हीं लोगों को दी गई जो सामाजिक सोपान के सबसे निचले पायदान पर थे।[2] प्रसिद्ध कम्युनिष्ट चीनी नेता माओ का मानना था कि– (क) राजनीतिक सत्ता बन्दूक की नली से निकलती है। (ख) राजनीति रक्तपात रहित एक युद्ध है और युद्ध रक्तपात युक्त एक राजनीति है। माओ के उपरोक्त दोनों सिद्धांत नक्सलवादी नेताओं के लिए आदर्श साबित हुए।

सामाजिक असमानता के गर्भ से उत्पन्न नक्सलवाद एक विचार नहीं अपितु एक विचारधारा है। नक्सलवादी आंदोलन के प्रमुख अगुआ कानू सान्याल ने अपनी रपट 'रिपोर्ट ऑन पिजेंट्स मूवमेंट इन तराई रिजन' में लिखा है कि किसानों ने संघर्ष किया है क्रांतिकारी राज्यतंत्र के सशस्त्र हमलों के खिलाफ उनके इस उक्ति से स्पष्ट है कि यह आंदोलन मुख्यतः किसानों द्वारा सामंतवाद के खिलाफ किया गया आंदोलन है जिसमें मुख्यतः भूमिहीन किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित एवं ऐसे असंख्य शोषित, पीड़ित एवं उपेक्षित लोग शामिल हैं जिन्होंने अन्याय को सहने से इनकार कर दिया एवं अहिंसा के रास्ते का परित्याग कर हिंसा का सहारा लेना आरंभ कर दिया।नक्सलवादी आंदोलन के व्यापक चार बिन्दु– 1. जल, जंगल, जीवन 2. आदिवासी एवं पिछड़े इलाकों में विकासात्मक कार्यों का अभाव 3. प्रशासनिक असफलता 4. सामाजिक तिरस्कार एवं उपेक्षा।

नक्सलवादी आंदोलन के चरणः नक्सलवादी आंदोलन के इतिहास का अवलोकन करने के पश्चात् नक्सलवादी आंदोलन को मुख्यतः तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता हैः

1. **प्रथम चरणः** इसकी काल अवधि 1967 से 1980 तक मानी जाती है। यह शुरूआती दौर या जब नक्सलवाद को व्यवस्था के विद्रोह के रूप में एक बुद्धिजीवी आंदोलन के रूप में देखा गया। यह चरण आदर्शवादी एवं वैचारिक आंदोलन का चरण माना जाता है।
2. **द्वितीय चरणः** इसकी काल अवधि 1980 से 2004 तक मानी जाती है। इस अवधि में नक्सलियों ने सशस्त्र बलों पर हमले आरंभ कर दिए। इसी चरण में नक्सली आंदोलन का सीमा–विस्तार सर्वाधिक हुआ। पूरे भारत में लाल गलियारे का निर्माण होने लगा जो पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक पहुँच गया। गोरिल्ला युद्ध में माहिर नक्सलियों द्वारा छत्तीसगारखंड एवं उड़ीसा आदि के जंगलों में घात लगाकर सशस्त्र बलों पर हमले आरंभ हो गये।
3. **तृतीय चरणः** तीसरे चरण की शुरूआत 2004 से मानी जाती है जो वर्तमान समय तक जारी है। 2004 के बाद नक्सलवादी आंदोलन अपने मूल उद्देश्य से भटक गया ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। साल 2004 में पीपुल्स वारग्रुप एवं एमसीसीई के एकीकरण के पश्चात् एक नई पार्टी का गठन किया गया जिसे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का नाम दिया गया।[5] 25 मई 2013 के छत्तीसगढ के सुकमा जिले के जंगलों में हमले हुए। इस हमले में सलमा जुडूम के प्रवर्तक महेन्द्र कर्मा व छत्तीसगढ कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व केन्द्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल व आठ अन्य लोग मारे गये। इस हमले के बाद से स्पष्ट हो जाता है कि नक्सलवादी अपने मूल उद्देश्य से भटककर उनलोगों को निशाना बनाने लगे हैं जो नीति–नियंता, राजनीतिक नेतृत्वकर्त्ता एवं राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। नक्सलवाद का प्रभाव–नक्सलवाद का सर्वाधिक प्रभाव देश के आठ बड़े राज्यों में देखा जा सकता है।[3] इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ शामिल है। देश के विभिन्न राज्यों में लाल गलियारे का निर्माण हुआ। नक्सलवादी आंदोलन के कारण हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। देश में अरबों रुपये की संपत्ति बर्बाद कर दी गई। नक्सलवाद के प्रभाव को निम्न रूप में देखा जा सकता है– 1. आंतरिक अशांति 2. कानून व्यवस्था की समस्या 3. अलगाववादी तत्त्वों को प्रोत्साहन 4. समानांतर सरकार का गठन 5. सशस्त्र विद्रोह का भय 6. जानमाल की व्यापक हानि 7. वर्गीय भेदभाव को बढावा 8.सशस्त्रों की अवैध खरीद फरोख्त 9. हिंसक गतिविधियों में वृद्धि 10. आर्थिक नुकसान ।

पूर्व अध्ययनों की समीक्षाः

पूर्व अध्ययनों की समीक्षा के क्रम में विभिन्न आचार्यों द्वारा लिखित पुस्तकों का अवलोकन किया गया है जिसमैंः

बनर्जी, सुमंत (2009)[3] ने नक्सलवाद को भारत के ग्रामीण तथा मध्य और पूर्वी भाग में सक्रिय एक आतंकवादी समूह बताया है। उनका मानना है कि इसकी उत्पत्ति भारत में साम्यवादी आंदोलन और समूहों से हुई है। उनकी गतिविधियों में संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और नागरिकों का सामूहिक नरसंहार शामिल है। उन्हें भारत सरकार द्वारा आतंकवादी माना जाता है।

पाध्ये, विलास (2013)[4] ने कहा कि दुनिया समस्याओं से घिरी हुई है, जिनमें से अधिकांश मानव निर्मित हैं या कम से कम सामूहिक मानवीय प्रयास से प्रबंधित की जा सकती हैं। लेकिन समझ या प्रयास या दोनों की कमी के कारण समस्याएँ नियंत्रण से बाहर होती दिख रही हैं।

अग्रवाल, पी. के (2010)[5] का कहना है कि नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनके अनुसार नक्सलवाद का मूल कारण ग्रामीण भारत में भूमि के असमान वितरण के आधार पर व्याप्त असमानता है। वे आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अनियंत्रित हिंसा को जन्म देने वाली समस्या के कारणों और प्रकृति पर विचार–विमर्श करते हैं।

चक्रवर्ती, सुदीप (2008)[6] भारत के 28 राज्यों में से 15 में नक्सलवाद के प्रसार की बात करते हैं। उनके अनुसार माओवादी आंदोलन अब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत चरम वामपंथी आंदोलनों में से एक है।

मलिक, वी.पी. (2010)[7] ने कहा था कि लगभग हर दिन बाधित साम्यवाद और 'रेड कॉरिडोर' में हिंसा की घटनाओं ने लंबे समय से चल रहे माओवादी विद्रोह को भारत की आंतरिक सुरक्षा के खतरों के केंद्र में ला दिया है।

अध्ययन पद्धतिः

यह शोध आलेख मुख्य रूप से वर्णन एवं विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक आलोचनात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। वर्त्तमान अध्ययन भारत में नक्सलवाद एवं इससे जुड़े मानवाधिकार की समस्या के विविध पक्षों के अन्वेषण से संबंधित है अतः यह शोध आलेख मुख्य रूप से द्वैतियक स्रोत पर आधारित है। इस अध्ययन के लिए मूल अध्ययन स्रोत पत्र –पत्रिकाओं एवं दस्तावेज तथा विभिन्न आचार्यों द्वारा सम्पादित पुस्तकों द्वारा लिया है।

सरकारी प्रयासः भारत सरकार द्वारा नक्सली समस्या के समाधान की दिशा मे ं अनेक प्रमुख कदम उठाये गए हैं जिनमें दंड के प्रावध ाान के साथ–साथ सुधारात्मक पहलू पर भी ध्यान दिया गया। अनेक जनकल्याणकारी कदम उठाए गये हैं जिनमें प्रमुख हैः

1. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार पर कार्य।
2. 2013 में 'रोशनी' नामक विशेष पहल की शुरूआत।
3. 2017 में केन्द्र सरकार द्वारा आठ सूत्रीय 'समाधान' नाम की एक कार्य योजना की शुरूआत।

नक्सली हिंसा को देखते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया।

नक्सलरोधी योजना के तहत सरकार ने विकास कार्यो हेतु 7300 करोड़ रूपये का पैकेज आवटित किया। गृह मंत्रालय ने देश को नक्सली हिंसा से मक्त कराने के लिए ''नई पहल'' नाम की एक योजना लागू की जिसके तीन प्रमुख अंग हैं: 1. विशेष अध्ययन 2. सशस्त्र बलों की तैनाती 3. पहले इस योजना के तहत सभी माओवाद प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रीकरण कर लिया गया है। नई पहल के तहत प्रथम चरण में महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ के ट्राईजक्शन पर स्थित महाराष्ट्र के गढचिरौली जिले को चुना गया है।[8]'' भारत सरकार तथा राज्य सरकारें नक्सलवादी इलाको में योजनाओं को बहुत अधिक बढवा दे रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान योजना में केन्द्र सरकार पिछड़े व प्रभावित पूवोत्तर राज्यों को 90:10 के अनुपात में राशि प्रदान कर रहा है। नक्सली समस्या के अध्ययन हेतु खुफिया जॉच एर्जेन्सियों का भी सहारा लिया जा रहा है। भारत सरकार हिंसा छोड़ने वाले नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर उनके पुर्नवास तथा ईनाम देने की नीति शुरू की है तथा तथा राज्य सरकारों से ऐसी ही नीतियॉ जारी करने के लिए कहा है। जो नक्सली हथियार डालेगें उनको तात्कालिक तौर पर 15 लाख रूपये ईनाम तथा लगभग 3 लाख तक के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण के दौरान 3000 रूपये मासिक वेतन की बात की थी। नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2014 में नक्सलवादियों की हिंसा या लेफ्ट विगं एक्सट्रीमिज्म सिद्धान्त को समाप्त करने के लिए प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य प्रारंभ किए तथा मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया। साथ ही इन क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं, मोबाइल टावरों की स्थापना कौशल विकास शिक्षा सुविधाओं संबन्धित पहल शामिल हैं। पुलिस आधुनीकरण योजना 2017–20 के तहत– सुरक्षा सबन्धित व्यय योजना शुद्ध विशेष केन्द्रीय सहायता शुद्ध 250 सुदृढ पुलिस स्टेशनों निर्माण सहित विशेष आधारभूत संरचना योजना व आदि उपयोजनाऍं चलाई जा रही है।[9]

मानव अधिकारः

मानव अधिकारों से अभिप्राय मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है जिसके सभी मानव प्राणी हकदार है। अर्थात उनमें नागरिक और राजनैतिक अधिकार सम्मिलित हैं। जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्र रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, भोजन एवं रोजगार के साथ–साथ समान शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। मानव अधिकार मूल रूप से वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को इंसान होने के कारण मिलते है। ये नगरपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून तक कानूनी अधिकार के रूप में संरक्षित है। मानव अधिकार सार्वभौमिक हैं इसलिए ये हर जगह और हर समय लागू होते हैं, जो हर व्यक्ति को उसके लिंग, जाति, पंथ, धर्म, राष्ट्र, स्थान या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना दिए गए हैं। अर्थात मानव अधिकर वे मानदंड हैं जो मानव व्यवहार के मानकों को स्पष्ट करते हैं।[10]

मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसारः

''मानव अधिकारों का मतलब संविधान द्वारा प्रत्याभूत या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में निहित और भारत न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा संबंधित अधिकार है।[11]''

मानव अधिकार आयोगः

मानव अधिकार आयोग की स्थापना 16 फरवरी 1947 को आर्थिक सामाजिक परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया जिसमें 18 सदस्य थे। वर्तमान में 32 सदस्य है। विशेष परिस्थियों में हम अपने अधिकारों के लिए मानव अधिकार आयोग से शिकायत कर सकते हैं। मानव अधिकार आयोग द्वारा तैयार सार्वभौमिक घोषणा पत्र के प्रारूप को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को स्वीकार किया इसलिए इस तारीख को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं।

- अनुच्छेद 1–3 तक के अनुच्छेद का संबंध नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से है जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि मनुष्य जन्म से ही गरिमा एवं सम्मान के अधिकारी है। जहाँ वह जन्म लेता है, वहाँ के नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार स्वतः उसे प्राप्त हो जाता है।
- अनुच्छेद 3–21 तक के अनुच्छेद में जीवन, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का अधिकार, समान कानूनी अधिकार, सरकारी नौकरी का अधिकार, सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार सम्मिलित है।
- अनुच्छेद 21–27 तक के अनुच्छेद में व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अधिकार आते हैं जिसमें मनुष्य के आत्मसम्मान, समान कार्य एवं समान वेतन, अतिरिक्त कार्य करने का अधिकार समावेशित हैं।
- अनुच्छेद 28–30 तक के अनुच्छेदों में सामान्य अधिकारों का उल्लेख किया गया है जिसमें सभी मनुष्यों को सामाजिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साथ ही विश्व शांति और सुरक्षा तथा व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके।

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुयी थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, यह संविधान द्वारा अनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। मानव संरक्षण अधिकार अधिनियम 1993 के आधार पर राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग बना। एक राज्य मानवाधिकार आयोग भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल विषयों से संबंधित अधिकारों के उल्लंघन की जाँच कर सकता है। वर्तमान में भारत के 24 राज्यों में राज्यस्तरीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है।[8] सार्वभौमिक मानव अधिकारों में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा, भाषण की स्वतंत्रता, सक्षम न्यायाधिकरण, भेदभाव से स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता का अधिकार और इसे बदलने के लिए स्वतंत्रता, विवाह और परिवार के अधिकार, आंदोलन की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा के अधिकार, शांतिपूर्ण विधानसभा और संघ के अधिकार, गोपनीयता, परिवार, घर और पत्राचार से हस्तक्षेप की स्वतंत्रता, सरकार में और स्वतंत्र रूप से चुनाव में भाग लेने का अधिकार, राय और सूचना के अधिकार, पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और सामाजिक आदेश का अधिकार जो इस दस्तावेज को अभिव्यक्त करता हो आदि शामिल है।[12]

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा–पत्रः मानव अधिकारों आयोग द्वारा तैयार सार्वभौमिक घोषणा पत्र के प्रारूप को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को स्वीकार किया। इस घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित कुछ 30 अनुच्छेद हैं:

मानव अधिकार के प्रकारः

- **प्राकृतिक अधिकारः**
  - इस अधिकार के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार आते हैं। ये स्वभाव में निहित है।
- व **मौलिक अधिकार –**
  - यह मनुष्य के मूल अधिकार हैं।
- व **कानूनी अधिकार–**
  - प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान मानना, कानूनी संरक्षण का अधिकार।
- व **नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार –**
  - राज्य के नागरिक होने के नाते वोट देने का अधिकार।
- व **नैतिक अधिकार –**
  - व्यक्ति के वे नैतिक आदर्श, मानव जिन्हें समाज में प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
- व **आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार**
  - मनुष्य के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए आवष्यक अधिकार।

निष्कर्ष

नक्सलवाद को पनपने एवं पोषण देने में जिन तत्त्वों की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है उसमें गरीबी, बेरोजगारी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, एक बड़े वर्ग के समुचित विकास का अभाव, विस्थापन की समस्या आदि प्रमुख कारण है। इसमें कतई संदेह नहीं है कि नक्सलवाद देश के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। 1967 से आरंभ हुए नक्सलवादी आंदोलन अपने आरंभिक काल से 57 वर्षों की यात्रा पूरी कर चुका है। इस लम्बी अवधि में भी न तो नक्सलवाद का प्रयोजन पूरा हो सका और न ही इ सका समाधान हो सका। हाँ, नक्सलवादी विचारधारा एवं सरकारी प्रयासों में अंतर अवश्य दृष्टिगोचर हुए हैं। एक विचारधारा के रूप में विद्यमान 'नक्सलवाद' आज भी जीवित है। उसने अपना रूप अवश्य बदल लिया है। भूमिहीन किसान, मजदूरों का सामंतों के विरुद्ध प्रारंभ किये गये आंदोलन आज सरकार वं सुरक्षा बलों के विरुद्ध आंदोलन बनकर रह गया है। नक्सलियों द्वारा समानांतर सरकार का गठन यह बताने के लिए पर्याप्त है कि नक्सलियों का संविधान से विश्वास उठ सा गया है। यह देश के लिए गंभीर समस्या है। आवश्यकता इस बात की है कि नक्सली गतिविधि में संलिप्त लोग एवं सरकारी महकमा आमने–सामने बैठकर समस्या का स्थायी समाधान निकालें। यही वक्त की माँग है। सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए यह आवश्यक है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी नीतियाँ इस ढंग से बनायी जाये जिससे आमजन को लाभ पहुँच सके। गरीबी–अमीरी की खाई को पाटकर उन असंख्य लोगों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर प्रदान कर नक्सलवाद का समाधान किया जा सकता है। केन्द्र सरकार को सुरक्षा व विकास के दोनों मोर्चो पर प्रभावित राज्यों के प्रयासो में सहयोग कराना जानी रखना होगा। भूमि सुधारो के त्वरित कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में भूमिहीन निर्धन लोगों की भूमि वितरित करने, आदिवासियों की जल, जंमीन समस्या का समाधान करने और सडक़, सचांर, विद्युत जैसी भौतिक अवस्थापना का विकाास सुनिश्यित करने, साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा आम लोगों की स्थानीय समस्याओं तथा उनके असंतोष को खत्म करने के लिए नीतियों का सही कार्यान्वयन अति आवश्यक है। सरकारी नीतियों को लागू करने में कातोही बरतने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि सरकारी तत्रं उनको सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर हैं सरकार को नक्सलियों को समाज व राष्ट्र की मुख्यधारा से जोडने़ की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। नक्सलवाद कवे ल काननू व्यवस्था की समस्या नहीं है यह मूलतः एक सामाजिक–आर्थिक समस्या है जिससे निपटने के लिए सरकार एवं समाज को एक बहुआयामी रणनीति बनानी चाहिए। भारत की आतं रिक सुरक्षा को सुनिश्चित व सुदढ करने के लिए आवश्यक है कि हमारा ढॉचा सुसगंठित राष्ट्रीय हित व राष्ट्रीयता की भावना से परिपर्ण़ू हो आंतरिक सुरक्षाओ का निदान केवल सेना या सरकार की ही जिम्मदेारी नहीं है अपितु हर नागरिक का प्रथम कर्तव्य है कि वह राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करने में अपना परूा सहयागे प्रदान करें आैर ऐसी परिस्थितियॉ उत्पन्न न करे ताकि प्रत्यक्ष या पराक्षे रूप से कोई विद्रोही ताकत बाह्य व आंतरिक रूप से हम पर हावी हो सके।15 उग्रवादियों के विरूद्ध प्रो एक्टिव एवं सतत् अभियान चलाना आवश्यक है। और इसके लिए सभी उपाय किए जाने चाहिए, साथ ही विकास व सुशासन मुद्दों पर विशेषकर निचले स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः आज हमे ऐसी कोशिस करनी चाहिए कि जिससे भारत के सर्वांगिण विकास हो सके और विश्वपटल पर भारत का नाम स्थापित हो। कहा जा सकता है कि मानव अधिकार हर व्यक्ति को दिए गए मूल अधिकार हैं। इन अधिकारों के प्रति कानून जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक है लोगों में इन अधिकारों के प्रति जागरूकता होना क्योंकि हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है जागरूकता की कमी। हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए साधन तो तलाशते हैं, परन्तु अपने अधिकारों को जानने की कोशिश कम ही करते हैं और समझौतों पर बल देते हैं।

संदर्भ ग्रंथः

1. पलसानिया एम.ए.ए (2010)नक्सलवादः आतंरिक सुरक्षा के लिए चुनौती, राज पब्लिशिगं हाउस, जयपुर, ।
2. श्रीवास्तव एवं मनोज, (2011) नक्सलवादः कारण, समस्या एवं समाधान, दया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली ।
3. अग्रवाल पी.के. (2010) नक्सलिज्मः कॉजेज एण्ड केयर, मानस पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
4. Banerjee. Sumanta. (2009). Naxalite Movement and Naxalbari. Kolkata. Subarnarekha Publishers.
5. Chakravarti. Sudeep. (2008). Red Sun Travels in – 20th Century. Delhi. Offset Printer
6. Malik, V., P. (2010). Maoist problem : How to handle it effectively. Observer Research Foundation.

7. Vilas, Pande. (2013). Deconstructing terrorism – Psychology and the state. International Interdisciplinary Research Journal, (Bimonthly), Vol-III Nov 2013 special issue.
8. मेनन वी. के. (2011) हू आर द नक्सल्स 2 ए थ्रेट टू इण्डियन डेमोकेसी, मुरारीलाल एण्ड सन्स, नई दिल्ली।
9. सक्सेना, विवेक, (2016) राजेश सुशीलः नक्सली आतंकवाद, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
10. सिहं , प्रकाश(2010) दी नक्सलाइट मुवमेट इन इण्डिया, रूपा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।
11. Devi, V (2007) The Institute of Human Right Education: Indian Experience, Asian School.
12. Kumar Raj (2003), Women's role in Indian Nation Movement.
13. Mahanti, J. (2003). Human Right Education, Deep & Deep Publication Pvt. Ltd. New Delhi.